

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—83/2022 (2022/192) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. घीसी बेगम पत्नि आजाद खां पठान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीया

बनाम

1. अर्जुनलाल पिता मदनलाल महाजन निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. कन्हैयालाल पिता मदनलाल महाजन निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. गोटीलाल पिता मदनलाल महाजन निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. बद्रीलाल पिता मदनलाल महाजन निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. बंशीलाल पिता मदनलाल महाजन निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. रूकमण पत्नि मदनलाल महाजन निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. रतनलाल पिता चुन्नीलाल महाजन निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. शान्तिलाल पिता चुन्नीलाल महाजन निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. राजीदेवी पत्नि रामचन्द्र वैष्णव निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. कर्णसिंह पिता मदनलाल कोठारी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. गणेशलाल पिता बख्तावर माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. गौरव कोठारी पिता कर्णसिंह महाजन निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. चिराग पिता लोकेश महाजन निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. श्यामलाल पिता उदयराम माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद—

प्रार्थी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 28.06.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 3060 रकबा 0.76 है0, आराजी संख्या 3065 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 3066 रकबा 0.33 है0 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 1.30 है0 भूमि खाता संख्या 249 पर दर्ज है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीया को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीया को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है।

प्रार्थीया ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थीया ने दिनांक 25.04.2022 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 22.04.2022 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 4, 5 स्वयं उपस्थित जिन्होने कोई ऐतराज नही किया गया एवं विपक्षी संख्या 10, 11, 12, 14 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया तथा विपक्षी संख्या 1, 2, 3, 6 लगायत 9, 13 के विरुद्ध प्रार्थीया अधिवक्ता कोई कार्यवाही नही चाहते है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थीया खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किये जाने योग्य है।

### आदेश

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी मे प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की आराजी संख्या 3060 रकबा 0.76 है0, आराजी संख्या 3065 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 3066 रकबा 0.33 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.30 है0 भूमि खाता संख्या 249 पर दर्ज है। जिसकी पत्थरगढी कराये जाने हेतु सम्बंधित भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीया द्वारा पत्थरगढी शुल्क 200/-रुपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रुपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।



*[Handwritten Signature]*  
28/06/22

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

रायपुर जिला अधीक्षक

रायपुर जिला भीलवाड़ा

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—83/2022 (2022/192) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. घीसी बेगम पत्नि आजाद खां पठान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीया

बनाम

1. अर्जुनलाल पिता मदनलाल महाजन निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. कन्हैयालाल पिता मदनलाल महाजन निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. गोटीलाल पिता मदनलाल महाजन निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. बद्रीलाल पिता मदनलाल महाजन निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. बंशीलाल पिता मदनलाल महाजन निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. रूकमण पत्नि मदनलाल महाजन निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. रतनलाल पिता चुन्नीलाल महाजन निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. शान्तिलाल पिता चुन्नीलाल महाजन निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. राजीदेवी पत्नि रामचन्द्र वैष्णव निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. कर्णसिंह पिता मदनलाल कोठारी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. गणेशलाल पिता बख्तावर माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. गौरव कोठारी पिता कर्णसिंह महाजन निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. चिराग पिता लोकेश महाजन निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. श्यामलाल पिता उदयराम माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढी कराने बाबत

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 28.06.2022 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी मे प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 3060 रकबा 0.76 है0, आराजी संख्या 3065 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 3066 रकबा 0.33 है0 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 1.30 है0 भूमि खाता संख्या 249 पर दर्ज है।

इस हेतु प्रार्थीया द्वारा पत्थरगढी शुल्क 200/—रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/—रूपये सम्बधित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढी अगर प्रार्थीया की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 28.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।



(सुन्दरलाल बम्बोडा)

उपखण्ड अधिकारी  
रायपुर जिला भीलवाड़ा